

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ-226 001

संख्या : 582-वे०प्र० (30)/पाकालि/2002-35 वे०प्र०(30)/99

दिनांक : 5 अक्टूबर, 2002

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/समस्त महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विषय :- पावर कारपोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आउट आफ पॉकेट भत्ता आदि की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

विगत अवसर पर यात्रा एवं दैनिक भत्तों आदि की दरों का पुनरीक्षण पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या 482-पीएफपी/राविप-उन्तीस-14 पीएफपी/88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 द्वारा किया गया था, जो अभी तक लागू है। तब से अब तक एक लम्बी अवधि का समय व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में महंगाई में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप दैनिक जीवन यापन व्यय अत्यधिक हो चुका है। इसी के साथ सभी श्रेणियों/वर्गों के कारपोरेशन सेवकों के वेतनमानों का दिनांक 1.1.1996 से पुनरीक्षण किया जा चुका है। राज्य शासन में वेतनमानों के पुनरीक्षण के अतिरिक्त यात्रा भत्ता आदि की दरों का भी संशोधन हुआ है। इन सब बातों को दृष्टिगत करते हुए कारपोरेशन के सेवकों को सम्प्रति अनुमन्य यात्रा भत्ता आदि की दरों के भी पुनरीक्षण की आवश्यकता अनुभव की गयी। तदनुसार विषय पर सम्पक विचारोपरान्त कारपोरेशन ने सहर्ष निर्णय लिया है कि उक्त परिषदादेश संख्या 482-पीएफपी/राविप-उन्तीस-14-पीएफपी/88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 तथा उसके पश्चात निर्गत अन्य तत्सम्बन्धी आदेशों को संशोधित करते हुए विभिन्न वर्गों के अपने सेवकों द्वारा कारपोरेशन कार्यहित में की जाने वाली यात्राओं पर यात्रा भत्ता आदि के भुगतान की निम्नवत पुनरीक्षित/अंशतः परिमार्जित व्यवस्था लागू की जाय :-

1. यात्रा भत्ता हेतु श्रेणी वर्गीकरण :-

(क) कारपोरेशन कार्यहित में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा एवं तत्सम्बन्धी अन्य भत्तों की अनुमन्यता हेतु कारपोरेशन के समस्त अधिकारियों/अधिकारिकों का वर्गीकरण निम्नवत होगा :-

- | | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| (1) विशेष श्रेणी | - | रु० 18400/- | एवं उससे अधिक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मिक। |
| (2) प्रथम श्रेणी | - | रु० 16400/- | से 18399/- तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मिक। |
| (3) द्वितीय श्रेणी | - | रु० 8000/- | से 16399/- तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मिक। |
| (4) तृतीय श्रेणी | - | रु० 5000/- | से 7999/- तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मिक। |
| (5) चतुर्थ श्रेणी | - | रु० 5000/- | से कम प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मिक। |

(ख) उपरोक्त वर्गीकरण हेतु किसी सेवक के वेतन का तात्पर्य वह वेतन होगा जो वित्त संहिता खण्ड-2 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है। इसके आगमनार्थ मात्र सन्दर्भित मूल नियम के अधीन वेतन तथा ठहराव वेतन (यदि हो) माने जायेंगे। विशेष वेतन व वैयक्तिक वेतन नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।

(ग) भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, यदि कोई अन्यथा प्रतिबन्ध प्रभावी न हो तो उन्हें कारपोरेशन हित में की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उनके विलीनीकरण की शर्तों के अनुरूप ही यात्रा एवं दैनिक भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।

2. रेल यात्रा हेतु अनुमन्यता :-

विशेष श्रेणी	-	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास।
प्रथम श्रेणी	-	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का वातानुकूलित चेयर कार।
द्वितीय श्रेणी	-	- तदैव -
तृतीय श्रेणी	-	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच-3 टियर/वातानुकूलित चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
चतुर्थ श्रेणी	-	रेल यात्रा की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

- (1) यात्रा भत्ता देयक में टिकट संख्या/पी.एन.आर. संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- (2) रेल आरक्षण तथा उसके निरस्तीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जायेगी।

3. वायुयान से यात्रा करने की अनुमन्यता :-

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक ही वायुयान से यात्रा करने हेतु अर्ह होंगे। अपवाद स्वरूप कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से अन्य अधिकारियों/अधिकारिकों को वायुयान की साधारण श्रेणी से यात्रा करने की सुविधा विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. रेल, बस स्टेशन, हवाई अड्डे तक की गयी स्थानीय यात्राये :-

उपरोक्त स्थानीय यात्राओं के लिए रु0 4.00 प्रति कि०मी० की दर से सड़क किलोमीटर भत्ता अनुमन्य होगा। इन यात्राओं की दूरी का आगणन वित्त संहिता खण्ड-3 के नियम-14 के नीचे के नोट के अनुसार किया जायेगा।

नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई आदि महानगरियों में भी यह सड़क किलोमीटर भत्ता रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/बस स्टेशन से उतरने के स्थान तक जाने व आने के लिए अनुमन्य दर पर ग्राह्य होगा।

परिषदादेश संख्या 2426-जी/राविप-219 ए/84, दिनांक 27 मई, 1985 सपठित परिषदाज्ञा संख्या 1838-पी/राविप-6पी/86, दिनांक 23-12-1987 में निहित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

5. यात्राओं के आनुषंगिक व्यय की अनुमन्यता :-

विशेष श्रेणी	□	-	11 पैसे प्रति किलोमीटर
प्रथम श्रेणी			
द्वितीय श्रेणी			

Signature

तृतीय श्रेणी	-	8 पैसे प्रति किलोमीटर
चतुर्थ श्रेणी	-	5 पैसे प्रति किलोमीटर

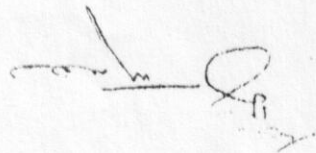
वायुयान से यात्रा करने पर कारपोरेशन के अधिकारियों को प्रति यात्रा मानक वायु भाड़े के पंचमांश अथवा रु० 40.00 प्रति उड़ान (फ्लाइट) की धनराशि में से जो भी कम हो वही अनुषांगिक व्यय मिल सकेगा। यदि एक ही स्थान से लक्ष्य के स्थान पर जाने के लिए एक से अधिक उड़ानों से यात्रा करना पड़े तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक उड़ान के लिए उपरोक्तानुसार अनुषांगिक व्यय अनुमन्य होगा।

- (क) यदि यात्रा अनुसूचित (शेड्यूल्ड) वायु सेवा द्वारा सम्बद्ध स्थानों के मध्य अधिग्रहीत की गयी हो तो वायु यात्रा के लिए भी उपरोक्तानुसार अनुषांगिक व्यय के रूप में अनुमन्य होगा।
- (ख) जब वायु यात्रा अनुसूचित वायु सेवा द्वारा नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में अनुषांगिक व्यय की दर 5 पैसे प्रति कि०मी० किन्तु अधिकतम रु० 40.00 तक अनुमन्य होगी।
- (ग) कारपोरेशन के समस्त वाहन चालकों को उनके मुख्यालय से बाहर अपने वाहन पर की गयी सड़क यात्राओं के लिए प्रत्येक कि०मी० दूरी के लिए 5 पैसे प्रति कि०मी० की दर से अनुषांगिक व्यय अनुमन्य होगा।

6. दैनिक भत्ते की अनुमन्य दरें :-

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-3 में निर्दिष्ट दैनिक भत्ते से सम्बंधित अन्य संगत नियमों का यथावत अनुपालन करते हुए कारपोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधोनिर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :-

श्रेणी	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, अहमदाबाद, शिमला, पुणे, हैदराबाद, चण्डीगढ़ एवं श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)।	क वर्ग के नगरों के लिए दरें, जिनमें नगरपालिकायें तथा कैंटोनमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होंगी-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ और गाजियाबाद।	ख वर्ग के नगरों के लिए दरें, जिनमें नगरपालिकायें तथा कैंटोनमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होंगी-मुरादाबाद, अलीगढ़, अँसी, सहारनपुर, गथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद।	साधारण दर (स्तम्भ 2, 3 एवं 4) में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए।
1	2	3	4	5
विशेष श्रेणी	190.00	155.00	125.00	100.00
प्रथम श्रेणी	180.00	140.00	110.00	90.00 ✓
द्वितीय श्रेणी	160.00	120.00	95.00	80.00
तृतीय श्रेणी	125.00	100.00	80.00	65.00
चतुर्थ श्रेणी	75.00	65.00	50.00	40.00

11. 1. + 

- (क) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 तथा 3 में उल्लिखित नगरों को छोड़कर अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी नगरों की यात्रा कारपोरेशन हित में अधिग्रहीत करने पर कारपोरेशन के सेवकों को दैनिक भत्ता उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी दरों पर अनुमन्य होगा तथा शेष अन्य स्थानों पर उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शायी दरों पर अनुमन्य होगा।
- (ख) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-3 में नामित नगरों से निम्न प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले कारपोरेशन के सेवक तालिका के स्तम्भ-5 में स्वीकृत साधारण दरों के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के पात्र होंगे। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दैनिक भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो।
- (ग) ऐसे कारपोरेशन के सेवक, जिन्हें यात्रा की अवधि में भारत सरकार, किसी राज्य सरकार/विद्युत परिषद अथवा ऐसे स्वशासी औद्योगिक अथवा व्यापारी उपक्रम/निगम/संविहित निकाय या स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथॉरिटी) द्वारा (जिसमें राज्य/केन्द्र सरकार या निगम का धन लगा हो अथवा राज्य/केन्द्र सरकार/निगम का कोई अन्य हित निहित हो) आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गयी हो, तो दैनिक भत्ते की अन्यथा अनुमन्य दर के चतुर्थांश की दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। इसी प्रकार यदि सेवक को आवास एवं भोजन में से कोई एक ही सुविधा निःशुल्क प्रदान की गयी हो तो उसे अन्यथा अनुमन्य दर के $\frac{1}{2}$ की दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। उस स्थिति में जहाँ कोई धनराशि निरीक्षण भवन/अतिथिशाला में अवस्थान हेतु कमरे के सामान्य किराया आदि के रूप में भुगतान की गयी हो वहाँ सम्बन्धित सेवक द्वारा यात्रा भत्ता देयक (टी0ए0 बिल) में एतद्विषयक सुस्पष्ट एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र देने पर कि उन्होंने प्रश्नगत धनराशि सामान्य शुल्क के रूप में दी है, उनके दैनिक भत्ते से यथा प्रयोज्य कटौती नहीं की जायेगी।
- (घ) निर्दिष्ट महानगरियों यथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थानीय यात्राओं के लिए अनुमन्य एक दिन के दैनिक भत्ते के समतुल्य टैक्सी भाड़ा लिये जाने की अवस्था में दैनिक भत्ते से कोई कटौती नहीं की जायेगी।
- (ङ) कारपोरेशन के सेवक द्वारा कार्यहित में की गयी यात्राओं के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत यदि उसे अन्यथा उस दिन का दैनिक भत्ता ग्राह्य न हो और नियन्त्रक अधिकारी इन परिस्थितियों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में पूर्णतया सन्तुष्ट हों, एक दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :-
- (1) कारपोरेशन के कार्यवश गन्तव्य स्थान (destination) पर जाने पर वहाँ 2 तिथियों को मिलाकर 8 घण्टे या उससे अधिक का रात्रि अवस्थान हुआ हो। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह दैनिक भत्ता उसी स्थिति में अनुमन्य होगा जबकि दोनों तिथियों में से किसी भी तिथि के लिए नियमानुसार दैनिक भत्ता ग्राह्य न हो। यदि दोनों तिथियों अथवा उनमें से किसी एक तिथि के लिए सेवकों को दैनिक भत्ता ग्राह्य हो तो उस स्थिति में उन्हें उपरोक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य न होगा।

Handwritten signature and stamp

(2) यदि कारपोरेशन के सेवक की यात्रा के दौरान रात्रि में अगली बस, रेल या वायुयान की प्रतीक्षा में 4 घन्टे या उससे अधिक का अवस्थान करना पड़े, तो इसके लिए कमशः आधा या एक दिन के दैनिक भत्ते के बराबर 'पारगमन अवस्थान भत्ता' (transit stay allowance) अनुमन्य होगा, जो कि उसी दिन या अगले दिन के लिए सामान्य रूप से अनुमन्य दैनिक भत्ते के अतिरिक्त होगा। यह उसी नगर के लिए प्रयोज्य दर पर अनुमन्य होगा जिस नगर में रुके हों। यदि इस सम्बन्ध में होटल में निवास करना पड़ता है तो आउट आफ पॉकेट भत्ता भी अनुमन्य होगा।

(घ) कारपोरेशन के कार्य में की गयी यात्राओं के मध्य 8 घन्टे अथवा इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिदिन किये गये अवस्थान के लिए पूर्ण दर पर दैनिक भत्ता निम्नवत अनुमन्य होगा :-

(1)	प्रथम 30 दिन तक	-	पूरी दर पर
(2)	30 दिन के ऊपर	-	आधी दर पर
(3)	180 दिन के उपरान्त	-	देय न होगा।

इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्त संहिता खण्ड-3 के नियम-27 (डी) (1) के अन्तर्गत अवस्थान का प्रतिबन्ध कारपोरेशन के कार्यवश दूरों के सम्बन्ध में यथावत बना रहेगा। इस प्रकार दूर की अवधि 10 दिन से अधिक होने पर उक्त नियम के उप नियम (2) के प्राविधान शिथिल करते हुए औपचारिक छूट दिये जाने पर ही दैनिक भत्ता उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार देय होगा।

(छ) कारपोरेशन के सेवकों द्वारा कार्यहित में विदेशों में की गयी यात्राओं के लिए उन्हीं दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जिन दरों पर उनके समकक्षी एवं समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के सेवकों को समय-समय पर संशोधित पर राष्ट्र मंत्रालय के संगत आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(ज) कारपोरेशन कार्यहित में मुकदमों की पैरवी आदि के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ की यात्रा करने पर नियमानुसार दैनिक भत्ते के अतिरिक्त प्रतिदिन रु० 10/- की धनराशि अतिरिक्त भत्ते के रूप में ग्राह्य होगी परन्तु किसी पत्र-के सुपुर्द करने या पत्र/पत्रोत्तर प्राप्त करने मात्र के कार्य पर बह सुविधा ग्राह्य नहीं होगी। यह अतिरिक्त दैनिक भत्ता सेवकों को केवल उन्हीं दिवसों के लिए ग्राह्य होगा जिन दिवसों के लिए सामान्य नियमों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता अनुमन्य है।

7. प्रशिक्षण की अवधि में दैनिक भत्ते की अनुमन्यता :-

(क) स्वदेश में :-

(1) यदि कारपोरेशन के सेवक स्वदेश की सीमा के अन्तर्गत किन्तु अपने मुख्यालय के बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजे जाते हैं और उक्त प्रशिक्षण की अवधि 10 दिन से अधिक होती है तो भी उन्हें बिना किसी सीमा के प्रशिक्षण संस्था प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण अवधि के लिए पूर्ण दर पर दैनिक भत्ता इस प्रतिबन्ध के सहित देय होगा कि इस सम्बन्ध में कारपोरेशन के इस आदेश के मद-6 के उप प्रस्तर (ग) के उपबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

- (2) यदि कारपोरेशन के कोई सेवक भारत सरकार के कार्गिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण प्रोग्राम (ट्रेनिंग डिवीजन) द्वारा आयोजित विभिन्न आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों (रेजीडेन्शियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स) में सम्मिलित होने के लिए कारपोरेशन/राज्य सरकार द्वारा भेजे जायेंगे तो उन्हें शासनादेश संख्या सा-जी 1051-दस-622/76, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 एवं तदुपरि संशोधन, यदि कोई हो, में निर्धारित दरों पर 'विशेष साप्ताहिक भत्ता' उसमें उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं दशाओं की अनुरूपता में अनुमन्य होगा।

(ख) विदेश में :-

विदेश में कारपोरेशन कार्यरत में भेजे गये सेवकों को उन्हीं दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जिन दरों पर उनके समकक्षी (equivalent) व समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के सेवकों को विदेशों में अनुमन्य होता है। यदि प्रशिक्षण के निमित्त कारपोरेशन के सेवक कारपोरेशन के अलावा अन्य किसी सार्वजनिक संस्थान (public sector undertaking) आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं तो इस अवस्था में उन्हें दैनिक भत्ता सम्बन्धित संस्थान में अनुमन्य दरों पर भी ग्राह्य कराया जा सकता है।

8. आउट आफ पाकेट भत्ते की अनुमन्यता :-

कारपोरेशन के सेवकों को उपरोक्त भत्ता निम्नवत प्रतिदिन की दर से अनुमन्य होगा :-

श्रेणी	दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता तथा वे नगर, जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है।	उत्तर प्रदेश के 'क' श्रेणी के नगर अर्थात् कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर तथा अन्य प्रदेशों की राजधानियाँ। (स्तम्भ-2 में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त)	उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के शेष नगर
1	2	3	4
कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक	₹0 1000.00	₹0 650.00	₹0 400.00
विशेष श्रेणी	800.00	550.00	300.00
प्रथम श्रेणी	600.00	300.00	250.00
द्वितीय श्रेणी	400.00	250.00	150.00
तृतीय श्रेणी	300.00	150.00	80.00
चतुर्थ श्रेणी	50.00	30.00	20.00

उपरोक्त भत्ता निम्न प्रतिबन्धों के अधीन देय होगा :-

- (क) 'आउट आफ पाकेट' भत्ते के व्यय की पुष्टि स्वरूप सम्बन्धित होटल के प्रबन्धक के स्पष्ट हस्ताक्षरों से अंकित आवास, भोजन आदि के विवरण को दर्शाते हुए व्यय की मूल रसीद 'यात्रा भत्ता देयक' के सम्बन्धित स्तम्भ में चिपकानी होगी।
- (ख) होटल की सुविधा का उपयोग किये जाने पर दैनिक भत्ते में कोई कटौती नहीं की जायेगी तथा वह पूर्ण दर पर अनुमन्य होगा। परन्तु यदि होटल की सुविधा के अलावा निःशुल्क भोजन इत्यादि भी उपलब्ध हो तो दैनिक भत्ते का मात्र 50 प्रतिशत ही अनुमन्य होगा।
- (ग) उक्त भत्ता हेतु होटल में ठहरने के शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा उपरिवर्णित दर से आगणित की गयी धनराशि में से जो धनराशि न्यूनतम होगी वही अनुमन्य होगी।
- (घ) यदि किसी सेवक को गन्तव्य स्थान पर सायं 4 बजे के पश्चात पहुँचने के फलस्वरूप वित्त संहिता खण्ड-3 के नियम-27 ए (ए) (11) के अनुसार अवस्थान का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है और वह प्रसंगत आवासीय सुविधा का उपयोग करता है तब भी (होटल में ठहरने की दशा में) वास्तविक होटल व्यय की रसीद प्रस्तुत करने पर उस निर्धारित धनराशि तक 'आउट आफ पाकेट' भत्ता अनुमन्य होगा।
- (ङ) उक्त 'आउट आफ पाकेट' भत्ता के सहित केन्द्र/राज्य शासन के आदेशानुसार देय होटल किराये पर व्यय कर (expenditure tax) की धनराशि की अतिरिक्त रूप से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

9. सड़क द्वारा अधिग्रहीत यात्रा के लिए किलोमीटर भत्ता की अनुमन्यता :-

क	कारपोरेशन के उन कार्मिकों को जिनके वेतनमान की उच्चतम सीमा रु० 13500/- से कम नहीं है।	निजी वाहन (मोटर कार/जीप) द्वारा एक मास में अधिग्रहीत यात्राओं के लिये :- 1. प्रथम 500 कि०मी० तक तय की गयी दूरी के लिए। 2. 500 कि०मी० से अधिक परन्तु 1200 कि०मी० तक तय की गयी दूरी के लिए। 3. 1200 कि०मी० से अधिक तय की गयी दूरी के लिए।	रु० प्रति कि०मी०	
			पेट्रोल चलित वाहन	डीजल चलित वाहन
			4.50	3.50
			3.25	2.75
			शून्य	
			* उपरोक्त के लिए प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।	
ख	कारपोरेशन के उन कार्मिकों की, जिनके वेतनमान की उच्चतम सीमा 9100/- से कम नहीं है।	उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चलित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिए।	रु० 2.00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु० 400.00 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	
ग	कारपोरेशन के उन कार्मिकों की, जिनके वेतनमान की उच्चतम सीमा रु० 5455/- से कम नहीं है।	वाहन के किसी भी साधन (निजी मोटर साइकिल/मोपेड/स्कूटर) द्वारा एक मास में की गयी यात्राओं के लिए।	रु० 2.00 प्रति कि०मी० परन्तु एक मास में अधिकतम रु० 300/-	

[Handwritten signature]

घ	कारपोरेशन के शेष अन्य कार्मिकों को	किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए।	रु0 1.00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के सहित कि इन यात्राओं के भत्ते की धनराशि एक मास में रु0 120.00 से अधिक न होगी।
---	------------------------------------	--	--

टिप्पणी :-

- (1) मद (क) (ख) (ग) में आवरित सेवकों द्वारा पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए 75 पैसे प्रति कि0मी0 की सामान्य दर से सड़क यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो कि एक मास में रु0 60.00 से अधिक न होगा।
- (2) पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले कारपोरेशन के सेवक उपर्युक्त सड़क कि0मी0 भत्ता की दरों में 33 1/3 प्रतिशत वृद्धि पाने के हकदार होंगे।
- (3) निजी वाहन से यात्रा करने पर किलोमीटर भत्ते के साथ-साथ आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न होगा।
- (4) सड़क द्वारा यात्रा के लिए उपरोक्त निजी वाहन के प्रयोग के लिए किलोमीटर भत्ता उसी अवस्था में अनुमन्य होगा जबकि दो स्थान रेल/बस सेवा द्वारा पूर्णतः/अंशतः सम्बद्ध न हों। अन्यथा की स्थिति में मात्र अनुमन्य बस भाड़ा प्राप्य होगा।
- (5) ऐसे कारपोरेशन के कर्मचारी (मोटर चालकों को छोड़कर), जो निःशुल्क वाहन का प्रयोग करें और जिन्हें उसके प्रयोगार्थ कोई व्यय अथवा चलन व्यय वहन न करना पड़े, को सड़क के सीधे मार्ग द्वारा 24 घन्टे अथवा उसके किसी भाग में तय की गयी दूरी के लिए प्रस्तर-5 में वर्णित दर पर रेल का आनुषंगिक व्यय प्राप्त होगा, जो साधारण दर पर अनुमन्य एक दिन के लिए 'दैनिक भत्ता' की धनराशि से अधिक नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए बहिगामी एवं वापसी (inward and outward) यात्राओं को अलग-अलग माना जायेगा तथा आनुषंगिक व्यय का आगणन सड़क द्वारा निकटतम दूरी के आधार पर किया जायेगा।
- (6) जब कारपोरेशन के अधिकारी यथा अनुमन्य निजी मोटर कार/जीप अथवा वाहन के अन्य साधनों से यात्रा अधिग्रहीत करेंगे तो उनके द्वारा मुख्यालय से 8 कि0मी0 के व्यासार्ध (radius) से बाहर अधिग्रहीत की गयी यात्रा (भले ही ऐसी यात्रा मुख्यालय की सीमा के अन्तर्गत प्रारम्भ होती हो अथवा मुख्यालय की सीमा के बाहर) के लिए उन्हें अनुलिखित भत्ते अनुमन्य होंगे :-
 - (क) उपर्युक्त प्रस्तर (9) में निर्धारित प्रति कि0मी0 की दर पर अधिग्रहीत दूरी के लिए किलोमीटर भत्ता तथा,
 - (ख) कारपोरेशन के अधिकारी/अधिकारिक द्वारा उसके मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पहुँचने अथवा अन्य स्थान से प्रस्थान करने के प्रत्येक दिवस के लिए

18 Nov 1981

“दैनिक भत्ता” इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि उस दिन उक्त स्थान पर उसके अवस्थान (halt) की अवधि 8 (आठ) घन्टे से कम की न हो तथा उस दिन के अवस्थान (halt) के लिए किसी अन्य स्थान पर अन्यथा अनुमन्य दैनिक भत्ता ग्रहण न किया जाय।

- (7) यदि कारपोरेशन के अधिकारी/अधिकारिक अपनी मोटर कार/जीप से यात्रा अधिग्रहीत करें परन्तु प्रयोगार्थ चलन व्यय उनके सहयात्री द्वारा वहन किये गये हों तो उसे मात्र आनुषंगिक व्यय ही अनुमन्य होगा।
- (8) मोटर/बस/लारी के अतिरिक्त अन्य वाहन के साधनों से यात्रा अधिग्रहीत करने पर वास्तविक व्यय अनुमन्य होगा, जो कि प्रस्तर-9 में वर्णित “किलोमीटर भत्ते” के समतुल्य से अधिक नहीं होगा।

10. महानगरियों (metropolitan towns) में स्थानीय यात्राओं के लिए टैक्सी भाड़े की अनुमन्यता :-

मात्र दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई एवं चेन्नई महानगरियों में अधिग्रहीत प्रत्येक दिन की स्थानीय यात्राओं के लिए अधिकतम एक दिन के दैनिक भत्ते के समतुल्य धनराशि टैक्सी भाड़े के रूप में अनुमन्य होगी। तथापि इसके अध्यर्थन की स्थिति में अनुमन्य दैनिक भत्ते में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

टिप्पणी :-

- (1) यदि एक टैक्सी में एक से अधिक अधिकारी/सेवक यात्रा करते हैं तो टैक्सी भाड़ा केवल उसी सम्बन्धित सेवक को अनुमन्य होगा, जो वास्तव में उसे वहन करेगा।
- (2) यदि परिस्थितिवश उक्त स्थानों पर अवस्थान की अवधि 8 (आठ) घन्टे से कम होने के फलस्वरूप दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है तो भी स्थानीय यात्राओं के लिए सेवकों को टैक्सी भाड़ा अनुमन्य हो सकेगा।

11. किराये की टैक्सी के उपभोग की पात्रता :-

विशेष श्रेणी	-	वास्तविक व्यय जो एक पूरी टैक्सी के भाड़े से अधिक नहीं होगा।
प्रथम श्रेणी	-	वास्तविक व्यय जो रेल के प्रथम श्रेणी के किराये से अधिक नहीं होगा।
द्वितीय श्रेणी	-	वास्तविक व्यय जो टैक्सी/वातानुकूलित बस की एक सीट के भाड़े से अधिक नहीं होगा।
तृतीय श्रेणी	-	वास्तविक व्यय जो साधारण बस की उच्च श्रेणी की एक सीट के भाड़े से अधिक न होगा।
चतुर्थ श्रेणी	-	वास्तविक व्यय जो साधारण बस की निम्न श्रेणी के किराये से अधिक न होगा।

टिप्पणी :-

- (क) इस प्रकार की यात्राओं से सम्बन्धित यात्रा भत्ता देयक में टैक्सी संख्या का उल्लेख करना/टैक्सी किराये की रसीद का चिपकाना अनिवार्य होगा।
- (ख) जब कोई अधिकारी/कर्मचारी टैक्सी इत्यादि से यात्रा करें तो वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड "तीन" के नियम 14 (ए) (2) के नीचे वर्णित टिप्पणी में दिये गये यथा प्रयोज्य "प्रमाण-पत्र" भी यात्रा अधिग्रहीत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये जाने होंगे।

12. स्थानान्तरण की दशा में अनुमन्य सुविधायें :-

- (क) स्थानान्तरण पर निजी एवं घरेलू सामान सड़क अथवा रेल द्वारा ले जाने के लिए निम्न सीमा तक मालगाड़ी द्वारा सामान ले जाने के शुल्क के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

यदि यात्रा परिवार सहित की गयी हो :-

<u>सेवकों की श्रेणी</u>	<u>वजन (भार) की सीमा</u>
विशेष एवं प्रथम श्रेणी	6000 किलोग्राम
द्वितीय श्रेणी	4000 किलोग्राम
तृतीय श्रेणी	3000 किलोग्राम
चतुर्थ श्रेणी	1500 किलोग्राम

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो :-

यदि स्थानान्तरण यात्रा एकल व्यक्ति द्वारा ही की जाती है तो उपरोक्त सीमा निर्दिष्ट भार से घटकर उसके दो तिहाई तक रह जायेगी।

(ख) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान :-

कम्पोजिट ट्रांसफर ग्राण्ट कारपोरेशन के सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए सड़क मील भत्ता एवं कारपोरेशन के सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कम्पोजिट ट्रांसफर ग्राण्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ते देय नहीं होंगे। एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्राण्ट के रूप में सम्बन्धित सेवक को आधे माह के मूल वेतन, अधिकतम रु० 10,000/- की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य होगी।

[Handwritten signature]

(ग) जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्राण्ट के स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्त्र होगा :-

वेतन सीमा	पैकिंग भत्ते की दर (रु० में)
रु० 6500/- प्रति माह या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले	500/-
रु० 6499/- प्रति माह तक मूल वेतन पाने वाले	250/-

उपरोक्त व्यवस्था जैसा कि प्रस्तर-1 में निर्दिष्ट है दिनांक 01 अक्टूबर, 2002 से लागू होगी। अर्थात्, यह उन सभी यात्राओं तथा उनसे सम्बन्धित अवस्थानों (halts) पर लागू होगी, जो उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों परन्तु जिन विषयों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी दरों/आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका हो, उन्हें पुनरोद्घाटित (reopen) नहीं किया जायेगा। शेष अन्य विषय, जो इन आदेशों से आवरित नहीं हुए हैं, वे वित्त संहिता खण्ड-3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप यथा पूर्वनिस्तारित किये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक सेवक अपने यात्रा भत्ता बीजक दो प्रतियों में प्रस्तुत किया करें।

परिषदादेश संख्या 482-पीएफपी/29 दिनांक 30.11.1989 में वर्णित यात्रा भत्ता सम्बन्धी अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों से अपने अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भली प्रकार अवगत करा दें।

भवदीय,

3
(कृपा शंकर) 5/10
अधिशाली निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 582 (1)/वे०प्र०(30)/पाकालि/2002-35 वे०प्र०(30)/99, तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक/अधिशाली निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. नियन्त्रक, लेखा/सम्प्रेक्षा/निधि, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से,

(श्रीकृष्ण)

उप महाप्रबन्धक